केंद्रीय हिंदी निदेशालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
शिक्षा मंत्रालय

पश्चिमी खंड-7, आर.के .पुरम
नई दिल्ली-110066

निविदा आमंत्रण सूचना
https://eprocure.gov.in/epublish/app) में प्रकाशनार्थ

जारीकताथ कार्यालय	**केंद्रीय हिंदी निदेशालय** पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
निविदा की मिसिल	

महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां		
वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र की उपलब्धता	**https://eprocure.gov.in/epublish/app)**	
निविदा जारी प्रकाशन की तिथि और समय	07-10-24	12.00
प्रलेख डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	07-10-24	12.00
निविदा स्पष्टता प्रारंभ करने की तिथि	–	–
निविदा स्पष्टीकरण पूर्ण होने की तिथि	–	–
बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय	08-10-24	12.00
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	18-10-24	12.00
तकनीकी / वित्तीय बोली बोली खोलने की तिथि और समय	18-10-24	3.00
तकनीकी / वित्तीय बोली खोलने का स्थल	समिति कक्ष ,केंद्रीय हिंदी निदेशालय	
निविदा दाताओं के लिए संपर्क/निविदा जमा करने का विवरण	प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066	

सील बंद निविदा प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, पश्चिमी खंड़-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को संबोधित की जाए तथा लिफाफे पर **"पैकेजिंग और परिवहन के लिए निविदा"** लिखा होना चाहिए। लिफाफे के बाईं ओर नीचे टेलीफोन नंबर सहित एजेंसी का नाम तथा पूरा पता लिखा होना चाहिये निविदा उक्त विवरणानुसार तक प्रस्तुत की जानी चाहिए निविदा प्रलेख **(https://eprocure.gov.in/epublish/app)** के ई- प्रोक्योरमेंट सिस्टम की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Sanjay Kumar
01/10/2024
प्रशासनिक अधिकारी

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
शिक्षा मंत्रालय

पश्चिमी खण्ड-7,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस कार्यालय द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों में समय-समय पर कार्यशालाएं, संगोष्ठी तथा बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसके लिए वहां पर पुस्तकें , लेखन-सामग्री तथा बैग आदि निदेशालय से भिजवाए जाते हैं तथा कार्यक्रम के समापन पर शेष सामग्री को वापस निदेशालय लाया जाता है।

अत: पुस्तकों को आवश्यकतानुसार मानक Gunny Bags/टाट, कार्टन बाक्स, पैकिंग पेपर आदि से पैकिंग कराने तथा उन्हें स्थान पर परिवहन एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में भिजवाने का कार्य किया जाना है। ये कार्य कराने के लिए अनुभवी व इच्छुक एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये कार्य समयबद्ध होते हैं अत: एजेंसी को निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। इसलिये ये तथा अन्य कार्य कराने के लिए (कृपया कार्यक्षेत्र अवश्य देखें)। एकल स्तरीय द्वि बोली निविदा पद्धति की बोली/ निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रलेख एनआईसी के पोर्टल ई- प्रोक्योरमेंट **https://eprocure.gov.in/epublish/app** से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीकर्ता/ संविदाकार/ अभिकरण को निविदा प्रलेख में वर्णित निर्देशों का पालन करें।

कार्यक्षेत्र: एजेंसी/बोलीदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) केंद्रीय हिंदी निदेशालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, प्रथम व द्वितीय तल से मुद्रित पुस्तकें , प्रशिक्षण सामग्री, लेखन-सामग्री, किट-बैग आदि वस्तुओं को पैकिंग के लिए लेना, उनकी पैकिंग करना, पैकिंग वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट कार्यालय तक पहुँचाना।

(ii) सामग्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी वस्तुओं की पैकिंग मानक पैकिंग सामग्री/ मानक Gunny Bags/टाट, कार्टन बाक्स, पैकिंग पेपर आदि (सामग्री की सुरक्षित पहुंच हेतु जैसी भी जरूरत हो उसका उपयोग करना) का उपयोग करके की जाए।

(iii) पैकिंग किए गए सामान को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों तथा अन्यों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने/ स्थानांतरित करने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों/ एजेंसियों का उपयोग करना। ट्रांसपोर्ट कार्यालय में सामान की निर्दिष्ट स्थान हेतु बुकिंग कराना, उनकी इनवाईस प्राप्त करना

(iv) ट्रांसपोर्ट कार्यालय से इस कार्यालय के लिए आई हुई सामग्री/वस्तुओं को लाना तथा उन्हें कार्यालय के भूतल, प्रथम व द्वितीय तल तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना।

(v) सरकारी मुद्रणालय तथा अन्यों से प्राप्त पुस्तकों के बंडलों को परिसर में ट्रक/वाहन से सामान उतारना, सामान को कार्यालय के भूतल, पहली या दूसरी मंजिल पर ले जाना, सामान को संबंधित कमरों में रखना, बक्सों को खोलना, सामान को उचित तरीके से व्यवस्थित करना, आदि।

(vi) नक Gunny Bags/टाट, कार्टन बाक्स, पैकिंग पेपर, सामग्री को बांधने की रस्सी, लिखने वाली स्याही, पैन तथा पैकिंग करने के लिए जरूरी सभी सामान की व्यवस्था एजेंसी को ही करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा पैक किए जाने वाले सामान के अतिरिक्त एजेंसी को पैकिंग के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिए कार्यालय द्वारा एजेंसी को कोई अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vii) केंद्रीय हिंदी निदेशालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित विभिन्न भंडारगृहों से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों तथा अन्यों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने/ स्थानांतरित करने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों/एजेंसियों का उपयोग करना/ अन्यों को पहुंचाने का कार्य किया जाना है।

जो संस्था/एजेंसी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली की उपर्युक्त वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करने के इच्छुक और समर्थ हैं वे कृपया निविदा के साथ अन्य आवश्यक कागजात भलीभाँति भरकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बोलीदाताओं को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व परिसर का अपने व्यय पर एक बार निरीक्षण अवश्य कर लें एवं किए जाने वाले कार्य को समझ लें। संस्था/एजेंसी के प्रतिनिधि यदि चाहें तो वे निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। कृ पया निविदा के लिए निर्धारित शर्तें अवश्य पढ़ लें।

पात्रता:

1. कंपनी, फर्म, एजेंसी अथवा व्यक्ति का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली व एनसीआर की परिधि में होना चाहिए।
2. कंपनी, फर्म, एजेंसी अथवा व्यक्ति या बोली कर्ता को भारत सरकार/ राज्य सरकार/ विभाग/ मंत्रालय/ सार्वजनिक उपक्रम/ संस्थान आदि की काली सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
3. कंपनी, फर्म, एजेंसी, व्यक्ति या बोली कर्ता को इसप्रकार का कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
4. फर्म के पास PAN/GST/TIN होना चाहिए और इसकी प्रतियां तकनीकी दस्तावेज के साथ संलग्न होनी चाहिए।
5. वांछित सूचनाएं संलग्नकों के अनुसार ही भरकर प्रस्तुत करनी चाहिए।
   नोट: कंपनी प्रोफाइल/ तकनीकी बोली/ वित्ती बोली को अलग-अलग लिफाफों में उन पर उपर्युक्त के अनुसार लिखकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

Sanjit Kumar
01/10/2021

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय की वस्तुओ की पैकिंग व परिवहन हेतु निविदा सूचना

केंद्रीय हिंदी निदेशालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित विभिन्न भंडारगृहों में रखी वस्तुओं यथा: मुद्रित पुस्तकें , प्रशिक्षण सामग्री, लेखन-सामग्री आदि को पैक करके परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों तथा अन्यों को पहुंचाने हेतु इच्छुक एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा सीलबंद लिफाफे के शीर्ष पर **"पैकिंग और परिवहन के लिए निविदा"** लिखा होना चाहिए और लिफाफे के बाईं ओर नीचे टेलीफोन नंबर सहित एजेंसी का नाम तथा पूरा पता लिखा होना चाहिए निविदा वाला लिफाफा प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के .पुरम, नई दिल्ली-110066 को संबोधित होना चाहिए।
2. निविदाएं इस कार्यालय में निविदा दस्तावेज में बताई गई तिथि यथा: दिनांक 18-10-24 को दोपहर 12:00 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएं दिनांक 18-10-24 को ~~14:30~~ 03:00 बजे इस कार्यालय के समिति-कक्ष में खोली जाएंगी। जो निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि उस समय उपस्थित रहने चाहें वे रह सकते हैं। निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हाथ से भेजी जा सकती है। यह कार्यालय डाक विलंब के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
3. बोली सुरक्षा के रूप में रुपये 5,000/- (केवल पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक,केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित हो उसे निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। बोली सुरक्षा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए। बिना बोली सुरक्षा के प्राप्त निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर बोली सुरक्षा वापस कर दी जाएगी।
4. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय काम की किसी विशिष्ट मात्रा की गारंटी नहीं देता है।
5. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी जिसे बाद में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यदि निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली की राय में ठेकेदार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को एक वर्ष से पहले समाप्त किया जा सकता है।
6. निविदा जमा करते समय निम्नलिखित शर्तों का ध्यान रखा जाए।

(i) स्थानांतरित की जाने वाली वस्तुओं/पैकेटों के लिए उचित दस्तावेज सफल बोलीदाता द्वारा बनाया जाएगा।

(ii) इच्छु क बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले पैक की जाने वस्तुओं के पूर्व सर्वेक्षण और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए सरकारी छुट्टियों को छोड़कर दिनांक 08.10.24 से 17.10.24 तक प्रात: 11.30 बजे से दोपहर 16.30 बजे के दौरान केंद्रीय हिंदी निदेशालय का दौरा करें। प्री-सवे के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा।

(iii) कार्य की पूर्णता के लिए पर्याप्त पैकिंग सामग्री तथा श्रम तैनात करने की आवश्यकता होगी तथा कार्य निर्धारित समयानुसार पूर्ण हो सके।

(iv) इस निविदा के अनुसार वस्तुओं की पैकिंग, अनपैकिंग और शिलिंग के संबंध में सौंपे गए कार्य को निष्पादित करते समय श्रमिक को होने वाली किसी भी चोट के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता को ऐसे मामलों में श्रमिक के चिकित्सा उपचार और किसी भी अन्य खर्च को स्वयं वहन करना होगा।

(v) पैकिंग/अनपैकिंग व लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान सरकारी संपत्ति/वस्तुओं को होने वाली किसी भी क्षति के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी।

(vi) किसी भी स्थिति में एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बताए गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।

(vii) यह कार्यालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं या अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. ट्रांसपोर्टर अपने खर्च पर पैकिंग सामग्री जैसे- मानक Gunny Bags/टाट, कार्टन बाक्स, पैकिंग पेपर, पैकिंग टेप, रस्सियाँ आदि का उपयोग करके वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पैक करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की सामग्री को किसी तरह का कोई नुकसान न हो।

8. एन.सी.आर से बाहर सामान भेजने के लिए सरकारी डांक विभाग (पोस्ट ऑफिस) को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

9. ठेकेदार को कार्य के सफल निष्पादन के लिएआवश्यक मशीनरी/वस्तुओं की पैकिंग सबंधी सभी सामग्री तथा आवश्यक उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। सामग्री का स्थानांतरण आवश्यक रूप से एक अवधि में या क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा।

10. यदि फर्म/एजेंसी और उसकी जनश्रक्ति के बीच वेतन या किसी सेवा शर्तों के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा फर्म/एजेंसी और उसके द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा स्वयं किया जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली किसी भी स्थिति में ऐसे विवाद में पक्षकार नहीं होगा।

11. पैकिंग/अनपैकिंग व लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान यदि माल की क्षति/चोरी आदि यदि कोई हो या किसी श्रमिक को शारीरिक चोट लगती है तो इसकी जिम्मेदारी फर्म/एजेंसी पर होगी। ऐसी स्थिति में केंद्रीयं हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली को होने वाली वित्तिय या किसी अन्य प्रकार की हानि की भरपाई फर्म/एजेंसी से की जाएगी।

12. ई-मेल तथा टेलीग्राफिक माध्यम से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि निविदाएं खोलने की तिथि पर अवकाश होता है तो उसे अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोला जाएगा।

14. बोली लगाने वाले को अपने स्तर पर भौतिक सत्यापन के बाद परिवहन/स्थानांतरित की जाने वाली सामग्री से संतुष्ट होना होगा। वह इन कार्यालयों की पहुंच, वहां से स्थानांतरित की जाने वाली सामग्री/वस्तुओं और स्थानीय यातायात द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश/ निकास के समय (यदि कोई हो तो) पर विचार करते हुए वस्तुओं के परिवहन का तरीका निर्धारित करेगा।

15. बोली लगाने वाले को उस स्थान का भी पता लगाना होगा/संतुष्ट करना होगा जहां संबंधित वस्तुओं को भेजा जाना है। कार्य के निष्पादन के दौरान और उसके बाद इस संबंध में किसी भी दावे/बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16. बोली जमा करने का मतलब है कि बोली लगाने वाले ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कार्यालय के मागों तथा वहां से ट्रांसपोर्टर के कार्यालय तक पहुंचाने का सवेक्षण कर लिया है। साथ ही इस टेंडर डाक्यूमेंट के सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ व समझ लिया है और उन सभी का बिना शर्त पालन करने हेतु वचनबद्ध है/होगें।

1. <u>अतिरिक्त शर्तें</u>

(क) निदेशालय द्वारा एक बार प्रस्तुत दरों को स्वीकार कर लेने के बाद वे फर्म पर बंधनकारी होंगी और पूरी निविदा अवधि के लए वैध रहेंगी।

(ख) बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें आपात स्थिति में अवकाश दिवसों में भी कार्य करना पड़ सकता है।

(ग) निविदा पर निर्णय होने के बाद असफल बोली कर्ता की ईएमडी लौटा दी जाएगी तथा सफल बोली कर्ता की ईएमडी बोली प्रलेखों में निर्धारित निष्पादन प्रतिभूति जमा प्राप्त होने के बाद लौटायी जाएगी।

(घ) पूर्णप्रलेखों/ सूचना के अभाव में भावी बोलीकर्ताओं पर नवचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) फर्म को अपने स्तर/ व्यय पर अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा।

(च) फर्म द्वारा प्रतिनियुक्त स्टॉफ को निदेशालय में नौकरी/नियुनक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

(छ) निविदा अहंस्तातरणीय है। यदि यह पाया गया कि संविदाकार ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है, तो संविदा बिना कोई सूचना दिए समाप्त कर दी जाएगी।

(ज) तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियां विधिवत हस्ताक्षर कर एक साथ प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यकता होने पर निदेशालय बोली कर्ताओं से किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। तथापि इससे बोली कर्ता को दी गई

दरों में अथवा किसी अन्य खंड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

(झ) निदेशालय द्वारा निविदाओ का परीक्षण कर यह देखा जाएगा कि क्या वे पूर्ण है, क्या उनमें गणना संबंधी कोई गलती है, क्या प्रलेखों पर सही तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं और निविदाएं सामान्य रुप से ठीक हैं। निविदा में छोटी-मोटी कमी अथवा असंगतता को छोड़ा जा सकता हैं, लेकिन उससे कोई महत्वपूर्ण नवचलन/अंतर नहीं आना चाहिए बशते कि ऐसा उल्लंघन पूर्वाग्रही अथवा बोलीकर्ताओं की स्थिति क्रम को प्रभावित नहीं करे। निदेशालय का इस संबंध में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ञ) निविदा स्वीकार होने के बाद बोलीकर्ता को अपना प्रस्ताव वापस लेने अथवा उसकी शतों में परिवर्तन/ संशोधन करने की अनुमनत नहीं दी जाएगी। यदि बोलीकर्ता दरें देने के बाद अनुबंध को पूर्ण नही करते हैं तो निदेशालय द्वारा प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोलीकर्ता को भविष्य में निदेशालय की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित/ कालीसूची में रख दिया जाएगा अथवा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

(ट) निविदा में कोई अज्ञात/ अनिश्चित देयता की शर्त होने पर उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

(ठ) संविदादात्री फर्म को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वे उनकी फर्म/ व्यवसाय पर लागू सभी कर तथा अन्य कानूनों को पूर्ण करते हैं। निदेशालय संविदादाता और उनकी फर्म पर लागू किसी नियम/ कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

(ड) अवांछित पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। संविदा प्रस्तुत करते समय अथवा तदन्तर अशुद्ध विवरण और अर्पूण जानकारी वाले प्रस्तावों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। निदेशालय को उपलब्ध कराये गए विवरण की जिम्मेदारी बोलीकर्ता की होगी, यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई प्रलेख किसी भी स्तर पर फर्जी पाया जाता है, उसे शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा और निविदा निरस्त करने के साथ साथ उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

2. <u>बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा राशि(इएमडी)</u>

(क) बोलीकर्ता को निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय पक्ष में रू 5,000/- का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति जमा राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) निदेशालय को यह धरोहर जमा राशि मुहरबंद नलफाफे में उस पर "**पैकिंग व परिवहन के लिए निविदा**" लिखकर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) बोली प्रतिभूति के अभाव में प्राप्त बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

(घ) संविदा पर अंतिम निर्णय और अवार्ड होने के बाद असफल बोलीकर्ताओं की बोली प्रतिभूति बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी।

(ङ) बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रलेख में वर्णणत बोली वैधता अवधि में बोली वापस लेने पर बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

(च) सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर 2017) के नियम 170 के अनुसार प्रतिभूति जमा राशि में छूट *पर विचार किया जा सकता है।

(छ) बोली कर्ता को संलग्न तकनीकी बोली के लिए निर्धारित प्रपत्र में तकनीकी बोली प्रस्तुत करनी होगी।

(ज) निविदा प्रलेख के अनुलग्रक में वर्णित प्रपत्र में तकनीकी बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/ मुहर लगानी अपेक्षित है।

(झ) GST/PAN/TIN पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति।

(ञ) काली सूची में नही होने संबंधी वचनपत्र।

(ट) कृपया यह सुनिश्रित करे कि सभी अपेक्षित प्रलेख संलग्न है। बोलीकर्ताओं से अपेक्षित है कि निविदा प्रलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/ मुहर हो।

3. <u>निविदाओ के मूल्यांकन मानदण्ड-</u>

(क) बोलियां/ निविदा (सभी तरह से पूर्ण) धरोहर राशि (ईएमडी) के ड्राफ्ट सहित प्राप्त, को निविदा प्रलेखों में, निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शायी तिथि और निर्धारित समय पर बोलीकर्ताओं/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि उपलब्ध हों, की उपस्थिति में निदेशालय, नई दिल्ली में खोली जाएगी।

ख) यह ध्यान रखे कि समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। इस समिति की बैठक के दौरान बोलीकर्ता को अथवा

उनके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए अनुमान उनके अपने नवचार होंगे और निदेशालय उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। प्रत्येक मद(आयटम) के मूल्य के आधार पर कार्य आबंटित होगा।

4. **<u>वित्तीय बोली:</u>** निर्धारित प्रपत्र के अनुसार वित्तीय बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए। वित्तीय बोली प्रपत्र में केवल मूल्य विवरण (भुगतान शर्तों सहित) होना चाहिए। उद्धृत दरें स्थिर और अंतिम होनी चाहिए। दरों मे सभी कर और लेवी शामिल होंगी। कोई अन्य यथा: पैकिंग सामग्री, अग्रेषण ढुलाई, बीमा, उतराई और चढाई, प्रवेश कर, डेमो आदि प्रभार अनुमत्य नहीं होंगे। यह दरें संविदा की पूर्णअवधि के दौरान वैध रहेंगी। यदि अंको और शब्दों में दी गयी दरों में विसंगति पायी जाती है तो शब्दों मे लिखी गयी राशि को मान्य किया जाएगा।

5. **<u>प्रतिभूति जमा (एस डी):</u>** संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु अवार्ड की अधिसूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर प्रतिभूति के रूप में रूपये 25,000/- जमा कराने होंगे। यह प्रतिभूति निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को देय, डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी के रूप में होगी। इस प्रतिभूति की वैधता ठेके दार द्वारा सभी संविदागत बाध्यताएं पूर्ण करने की तिथि के बाद 90 दिनों तक, वारंटी बाध्यता, यदि कोई हो, होनी चाहिए। सफल बोलीकर्ता को प्रतिभूति जमा प्राप्त होने के बाद ईएमडी लौटा दी जाएगी। ठेके दार की सभी संविदागत बाध्यताएं पूर्ण होने के बाद प्रतिभूति जमा (एस.डी) लौटा दी जाएगी। यदि निर्धारित समय में कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं हुआ तो इसे अथवा इसके किसी भाग को रोका या जप्त किया जा सकता है।

6. **<u>बोली प्रस्तुत करने के बाद वापसी नहीं:</u>** निविदा स्वीकार होने के बाद बोलीकर्ता को इसकी शतों में संशोधन करने अथवा इसे वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीकर्ता दरें उद्घृत करने के बाद इसमें वर्णित शर्तों के पालन करने में असफल रहता है अथवा पीछे हटता है तब निदेशालय द्वारा उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि और प्रतिभूति जमा जप्त कर ली जाएगी। साथ ही बोलीकर्ता को निदेशालय की भावी निविदा प्रक्रियाओ में भाग लेने से भी वंचित किया जा सकता है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है और/ अथवा समुचित अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

7. **<u>अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओँ को अस्वीकार करना:-</u>** निविदा पूछताछ मे नियत अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. **<u>संविदा अवधि:-</u>** संविदा एक वर्ष के लिए वैध रहेगी, तथापि निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वे कार्यसंतोषजनक होने की स्थिति में बढा सकते हैं।

9. **<u>कार्य स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार:-</u>** निदेशालय को किसी भी समय कार्य की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

(क) निदेशालय अर्थदंड और लागू करों की वसूली के लिए पूरा या उसके भाग का भुगतान रोकने के लए स्वतंत्र है।

(ख) किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा। सभी भुगतान मासिक/ त्रैमासिक आधार पर सेवाएँ सौंपे गए कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने पर ही किया जाएगा।

10. **<u>विवाचन:-</u>**यदि निदेशालय और ठेकेदार में संविदा से संबंधित कोई विवाद अथवा मतभेद होता है तब दोनो पक्ष आपसी सहमति से सौहार्दपूर्वक हल करने के पूरे प्रयास करेंगे। तथापि यदि दोनों पक्ष आपसी परामर्श से अपने मतभेद सुलझाने में असफल रहते है, ठेके से संबंधित सभी विवाद अथवा मतभेद भारतीय विवाचन और समाधान अधिनियम के नियमों के अनुसार विवाचन द्वारा निपटाए जाएंगे। विवाचन का स्थान दिल्ली होगा।

11. **<u>विधिक:-</u>** यह संविदा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व एनसीआर में पूर्ण होने वाली मानी जाएगी तथा इसकी समस्त बाध्यताएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित मानी जाएगी तथा अन्य सभी न्यायालयों के अपवर्जन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा।

Sanjib Jain

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तकनीकी बोली के लिएप्रपत्र

1.	फर्म/एजेंसी/व्यक्ति का नाम और पता	
2.	टेलीफोन.फैक्स नं /मोबाइल /	
3.	ईमेल -	
4.	सम्पर्क व्यक्ति	
5.	कितने वर्ष का अनुभव	
6.	ग्राहकों की सूची	
7.	पंजीयन क्रमांक./निगमन सं.	
8.	पीएएन/PAN	
9.	जीएसटी/GST	
10.	सेवाकर क्रमांक/TAN	
11.	संलग्न ईएमडी का विवरण	
12.	घोषणा: मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में पूर्ण और सही है। हम यह जानते हैं कि उपरोक्त विवरण में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो कंपनी को कालीसूची में डाल दिया जाएगा।	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हस्ताक्षर एवं मोहर

तिथि
स्थान

वित्तीय बोली के लिए प्रपत्र
(कंपनी के पत्र शीर्ष पर)

सेवा में, तिथि

प्रशासनिक अधिकारी,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
पश्चिमी खंड- 7, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066

<u>विषयः- निविदा का वित्तीय बोली प्रपत्र</u>
<u>निविदा संदर्भ सं. -</u>
<u>निविदा का नाम- "पैकिंग और परिवहन के लिए निविदा"</u>
महोदय,

उपरोक्त विषयक बोली/ कथित बोली प्रलेखों में निविदा प्रलेखो का परीक्षण करने के उपरांत मैं/ हम अधोहस्ताक्षकर्ता इसमें कथित बोली प्रलेखों में वर्णणत सभी सेवाओं के पूर्ण निष्पादन हेतु निम्नलिखित प्रस्तावित करते है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वजन	दर (.रु)
1.	कार्यालय के आर.के.पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित विभिन्न भंडारगृहों में रखी वस्तुएं जैसे- मुद्रित पुस्तकें, किट-बैग, लेखन-सामग्री आदि को कार्टन बाक्स में डालना तथा पैक करना। इसके बाद पैक कार्टन बाक्स को मानक Gunny Bags/टाट से पैकिंग करते हुए बाक्स/पैकेट पर प्राप्तकर्ता व प्रेषक संबंधी विवरण को दर्ज करना तथा उन्हें कार्यालय के भूतल पर उपलब्ध परिवहन के साधनों तक पहुंचाने का कार्य करना। इस प्रक्रिया में सभी श्रम व सामग्री ठेकेदार की होगी।	01-10 कि.ग्रा. तक	
		11-15 कि.ग्रा. तक	
		16-20 कि.ग्रा. तक	
		21-30 कि.ग्रा. तक	
		31-40 कि.ग्रा. तक	
		41-50 कि.ग्रा. तक	
		51-60 कि.ग्रा. तक	
2.	कार्यालय के आर.के.पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित विभिन्न भंडारगृहों में रखी वस्तुएं जैसे- मुद्रित पुस्तकें, किट-बैग, लेखन-सामग्री आदि को पैकिंग पेपर से पैक करना तथा पैक सामग्री को मानक Gunny Bags/टाट से पैकिंग करते हुए पैकेट पर प्राप्तकर्ता व प्रेषक संबंधी विवरण को दर्ज करना तथा उन्हें कार्यालय के भूतल पर उपलब्ध परिवहन के साधनों तक पहुंचाने का कार्य करना। इस प्रक्रिया में सभी श्रम व सामग्री ठेकेदार की होगी।	01-10 कि.ग्रा. तक	
		11-15 कि.ग्रा. तक	
		16-20 कि.ग्रा. तक	
		21-30 कि.ग्रा. तक	
		31-40 कि.ग्रा. तक	
		41-50 कि.ग्रा. तक	
		51-60 कि.ग्रा. तक	
3.	कार्यालय के आर.के.पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित विभिन्न भंडारगृहों में रखी वस्तुएं	01-10 कि.ग्रा. तक	
		11-15 कि.ग्रा. तक	
		16-20 कि.ग्रा. तक	

	जैसे- मुद्रित पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री आदि को पैकिंग टेप, रस्सियाँ आदि का उपयोग करते हुए पैकिंग पेपर से पैक करना तथा पैक सामग्री के पैकेट पर प्राप्तकर्ता व प्रेषक संबंधी विवरण को दर्ज करना तथा उन्हें कार्यालय के भूतल पर उपलब्ध परिवहन के साधनों तक पहुंचाने का कार्य करना। इस प्रक्रिया में सभी श्रम व सामग्री ठेकेदार की होगी।		

4.	**कार्यालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा परिसर से भेजे जाने वाले स्थान तक डोर टू डोर डिलिवरी करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस कार्य के लिए ठेकेदार को स्वयं श्रम व परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। सामग्री को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने व लाने के लिए दूरी के निम्नलिखित स्लेब के अनुसार दरें प्रस्तुत करें।** **नोटः- दिल्ली एन.सी.आर. के वाहर सामग्री भेजने पर प्रति पैकेट/बंडल का भार 20 किलो तक होने पर उसे सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भेजा जाएगा।**		
4(i)	01 से 15 किलोमीटर की दूरी तक दिल्ली की सीमा के अंदर पैंकिंग किए गए प्रति पैकेट/बाक्स की सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैके ट की दर प्रस्तुत करनी होगी।	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	
4(ii)	16 से 25 किलोमीटर की दूरी तक दिल्ली की सीमा के अंदर पैंकिंग किए गए प्रति पैकेट/बाक्स की सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैकेट की दर प्रस्तुत करनी होगी।	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	
4(iii)	26 से 35 किलोमीटर की दूरी तक दिल्ली की सीमा के अंदर पैंकिंग किए गए प्रति पैकेट/बाक्स की सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैके ट की दर प्रस्तुत करनी होगी।	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	
4(iv)	36 से 50 किलोमीटर की दूरी तक दिल्ली की सीमा के अंदर पैंकिंग किए गए प्रनत पके ट/बाक्स की सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैकेट की दर प्रस्तुत करनी होगी।	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	
5.	कार्यालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा पररसर के भूतल से दिल्ली की सीमा से बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों आदि में पैकिंग की गई सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैके ट की दर प्रस्तुत करनी होगी।	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	
6.	कार्यालय के आर.के .पुरम स्थित मौजूदा परिसर के भूतल से दिल्ली की सीमा से बाहर लगभग 100 किलोमीटर तक स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों/ संगठनों	01 से 20 कि.ग्रा.	
		21 से 40 कि.ग्रा.	
		41 से 60 कि.ग्रा.	

	आदि में पैकिंग की गई सामग्री को ले जाना व ले आना के लिए परिवहन व्यय जिसमें सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग भी शामिल होगी। विशेष: ठेके दार को प्रति पैकेट की दर प्रस्तुत करनी होगी।		

***इन दरों में पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी तरह की सामग्री, श्रम तथा पैकिंग सामग्री के परिवहन हेतु सभी व्यय शामिल होगें। इस कार्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अतिरिक्त किसी अन्य मद की राशि नहीं दी जाएगी।**

मैं/ हम सहमत हैं कि यदि मेरी/ हमारी बोली स्वीकार्य होती है, मैं/ हम यह पुष्टि करते है कि हमारी बोली में कथित शर्तों के अनुसार संविदा की पूरी अवधि के दौरान हमारी/ मेरी बोली में मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें स्थिर रहेंगी। मेरी/ हमारी बोली स्वीकार होने पर हम यह वचन देते हैं कि बोली स्वीकृति के पत्र प्राप्त होने के 15 कलैंडर दिवसों में आपके पास बैंक गारंटी/ बैंक ड्राफ्ट जमा करा दिया जायेगा। औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित होने तक यह बोली, आपकी लिखित स्वीकृति के साथ मैं/ हमारे मध्य बाध्यकारी संविदा होगी। मैं/ हम यह समझते है कि आपको प्राप्त यह बोली अथवा कोई अन्य बोली स्वीकार करने के लिएआप बाध्य नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
हस्ताक्षर और मोहर

तिथि:-
स्थान:-

निविदा स्वीकृति पत्र
(कंपनी के पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

तिथिः-

सेवा में,

प्रशासनिक अधिकारी,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
पश्चिमी खण्ड-7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066

विषय- निविदा की शर्तों और निबंधन की स्वीकृति निविदा
निविदा का नामः- "पैकिंग और परिवहन के लिए निविदा"

प्रिय महोदय,

मैनें/ हमने आपके विज्ञापन के अनुसार **https://eprocure.gov.in/epublish/app** से उपरोक्त वर्णित वेबसाइट से निविदा कार्य संबंधी निविदा डाउनलोड/ प्राप्त की है। मैं/ हम यह प्रमाणित करते है कि मैनें/ हमने निविदा प्रलेख के पृष्ठ क्रमांक 1से12 तक (सभी प्रलेखों यथा अनुलग्नकों, अनुसूचियों आदि) वर्णित सभी शर्ते पढ़ ली है, जो निविदा प्रलेख का भाग है, मैं/ हम उसमें निहित सभी शर्तों/ स्थितियों/ खंडों का पालन करेंगे।

यह स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करते समय आपके केन्द्र द्वारा समय- समय पर जारी शुद्धि पत्रों का भी ध्यान रखा गया। मैं/ हम उपरोक्त वर्णित निविदा प्रलेखो/ शुद्धि पत्रों में उल्लेखित सभी शर्तों को बिना शर्त पूर्ण रुप से/ समग्रता के साथ स्वीकार करते है और यह घोषित करते है कि किसी भी सरकारी संस्थान में हमारे विरुद्ध न तो कोई अथथदंड संबंधी और न काली सूची में नाम दर्ज है।

यदि निविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है तब आपका केन्द्र पूरी धरोहर राशि को जप्त करने सहित किसी अन्य अधिकार/ प्रतिकार के पूर्वाग्रह के बिना इस निविदा/ बोली को निरस्त कर सकता है।

भवदीय,

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर सहित